इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 371] भोपाल, बुधवार, दिनांक 9 सितम्बर 2015—भाद्र 18, शक 1937

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

घोषणा

(नियम-6)

क्र. एफ 21-23-2014-एक-10.—यत:, यह अभिकथित किया गया है कि श्री कालूराम जैन, सहायक खाद्य आपूर्ति अधिकारी, बरेली, जिला रायसेन ने मध्यप्रदेश राज्य में सहायक खाद्य आपूर्ति अधिकारी, बरेली, जिला रायसेन का पद धारण करते हुए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13 (1) ई, 13 (2) के अधीन अपराध किया है और अपराध क्रमांक 64/2012 धारा 13 (1) ई., 13 (2) भ्र. नि. अ. 1988 सन् 2011-12 को मामलों का अन्वेषण किया गया है.

और, यत:, अभिलेख में उपलब्ध सुसंगत सामग्री की छानबीन करने पर, राज्य सरकार की राय है कि श्री कालूराम जैन पर जिसने भ्रष्ट साधनों का सहारा लेकर अपनी आय के ज्ञात स्त्रोत से अननुपातिक संपत्तियां संचित की है, प्रथम दृष्ट्या प्रकरण बनता है.

और, यत:, राज्य सरकार द्वारा यह आवश्यक और समीचीन समझा गया है कि उक्त अपराधी पर मध्यप्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम, 2011 की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित विशेष न्यायालय द्वारा विचारण किया जाना चाहिए.

अतएव, मध्यप्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम, 2011 की धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा यह घोषणा करती है कि उक्त अपराध पर मध्यप्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम, 2011 के अधीन कार्यवाही की जाएगी.

स्थान : भोपाल
तारीख : 08 सितम्बर 2015

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश कौल, उपसचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2015.